भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *302

जिसका उत्तर 10.08.2023 को दिया जाना है

टोल पर प्रतीक्षा समय

*302. श्री हनुमान बेनीवाल:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजाओं पर वाहनों के निर्धारित समय-सीमा से अधिक रुकने की स्थिति में वाहनों को टोल से छूट देने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 01 जनवरी, 2021 से 10 जुलाई, 2021 की अवधि के दौरान, उपर्युक्त कारण से टोल टैक्स से छूट प्राप्त वाहनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

<u>विवरण</u>

'टोल पर प्रतीक्षा समय' के संबंध में श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा पूछे गए दिनांक 10.08.2023 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *302 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) जी, नहीं। मौजूदा शुल्क नियमों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क प्लाजाओं पर किसी निर्धारित/निश्चित समय-सीमा से अधिक वाहनों के रुकने की स्थिति में वाहनों को प्रयोक्ता शुल्क से छूट देने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

हालांकि, 16.02.2021 (रात 12 बजे) से सभी लेन पर फास्टैग के अनिवार्य कार्यान्वयन के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा परामर्शदाता के माध्यम से फरवरी 2021 से नवंबर 2021 तक फास्टैग प्रणाली के प्रभाव का मूल्यांकन अध्ययन किया गया था। उपरोक्त अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि शुल्क प्लाजा पर औसत प्रतीक्षा समय 734 सेकंड से घटकर 47 सेकंड हो गया है।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठता।

*****